कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1343 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 4 नवम्बर, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.802 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/15327/2015)

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक 1785/FP/UK/ROAD/15327/2015 दिनांक 28–01–2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन ऑख्या इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से आपके प्रेषित की गई है। प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति 12–08–2016 को जारी की गई है तथा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धानित्क स्वीकृति की अनुपालन आख्या 5 वर्षों से अधिक समय तक प्रेषित न किये जाने के फलस्वरुप प्रकरण में वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 जमा की जानी अनिवार्य है। उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBIN423270686927 दिनांक 27–09–2023 से रु0 2,79,264.00 (दो लाख उन्यासी हजार दो सौ चौंसठ) मात्र जमा कर दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1343 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3– अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

52

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 737 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 18/09/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– बागेश्वर में लमचूला – गनीगॉव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.802 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 15327 / 2015।

संदर्भ :– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 698 / 12–1 (2) दिनांक 13.08.2024।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर ने अवगत कराया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की बढ़ोत्तरी धनराशि चालान सं0 SBIN423270686927 दिनांक 27.09.2023 द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है, जिसकी चालान की प्रति संलग्न कर आपको सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(डॉ0 कोको रोसे)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रभारी बागेश्वर
आ0 का0 कें0,

प्र0 व0 सं0 / नो0
23-9-24

30 AUG 2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 698 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 13 / 08 / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.802 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्वन्ध मे।
(प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/15327/2015)

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं0 770/x-4-16/1(213)/2016 दिनांक 12.अगस्त.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.802 है0 वन भूमि** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0 3079/12–1–2 दिनांक 28.06.2018 द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी थी। **(छायाप्रति संलग्न)**–1

सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

भारत सराकर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि UTR No.SBIN423270686927 Dtd 27.09.2023 से जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)–2

अतः प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचना चार प्रतियों में संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नः– चार प्रतियो।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक / दिनांकित ।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

07/8/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2127/25.व.प्र   दिनांक 06/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः— **जनपद बागेश्वर में लमचूला—गनीगॉव मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.802 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।**

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 4428/12—1—2 बागेश्वर दिनांक 03.05.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र सं0 3079/12—1—2—बागे दिनांक 28.06.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु नोडल कार्यालय देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। पॉच वर्ष से अधिक समय से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि रू0 2,79,264.00 की मॉग की गई थी, जिसे (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No-SBIN423270686927 dtd 27.09.2023 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की देय धनराशि जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न— सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्राप्ति संख्या 632
दिनांक 07/8/2024
शाखा ....
फाइल संख्या 12-1-2
आवश्यक कार्यवाही करें।

व0 प्रशा0 अधि0   प्र0 व0 अ0

संलग्न-1

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– /FP/UK/ROAD/15327/2015 देहरादूनः दिनांकः 28 जनवरी 2023

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :– जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.802 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 770/X-4-16/1(213)/2016 दिनांक 12–08–2016

महोदय,

शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815/12–1–2 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है : –

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 11,39,529.00 RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN618074412976 एवं UTR No. SBIN618074412431 दिनांक 15–03–2018 से जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 5,26,914.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में यदि सक्षम स्तर से एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–2)
4	भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्थ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 5,26,914.00 तथा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 11,39,529.00 एवं 10 गुने वृक्षों के वृक्षारोपण की धनराशि रू0 1,20,000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 17,86,443.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–1 के अनुसार)

	स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में पूर्व में संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 5–3/2011–एफ0सी0(Vol-I), दिनांक 06–01–2022 के आदेशानुसार बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी अपेक्षित है। प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त ही जारी किया जाना उचित होगा। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–1785/FP/UK/ROAD/15327/2015 दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण पर भारत सरकार के आदेश दिनांक 06–01–2022 के अनुसार बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति जारी की जा सके।
2. **प्रतिलिपि** :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1806
29/4/2023
12-1-2
आवश्यक कार्यवाही
व0 प्रशा0 अधि0 प्र0 व0 अ0

1-11)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 3079 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक :28/06 /2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत लमचूला–गनीगॉव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.802 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं0 770/X-4-16/1(213)/2016 दिनांक 12.08.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आप्पतियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को तीन प्रति में प्रेषित की गयी है जो तीन प्रति में अग्रिम कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 3 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक 3079 / दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को उनके पत्रांक 751/2ई0व0भू0 दि0 28.03.2018 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Nodal adikari

1-/11/

समाप्त

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 751 / 26 ई0 पा0 ब   दिनांक 28/3/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगॉव मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.802 है0 वनभूमि गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड सरकार के पत्रॉक 770/X-4-16/1(213)/2016 दिनांक 12 अगस्त,2016।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

3943
121-2
28.3.18

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

पत्रॉक / तद्दिनांक

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी देहरादून को सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी बागेश्वर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

1-(11)

जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगॉव मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.802 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड सरकार के पत्रॉक 770/X-4-16/1(213)/2016 दिनांक 12 अगस्त,2016 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तें बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है।

1– शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रख–रखाव हेतु रू0 11,39,529.00 (रू0 ग्यारह लाख उनचालीस हजार पॉच सौ उन्तीस मात्र) का भुगतान UTR नं0 SBIN618074412976 & UTR नं0 SBIN618074412431 दिनांक 15.03.2018 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।

2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में रू0 5,26,914.00 (रू0 पॉच लाख छब्बीस हजार नौ सौ चौदह मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 SBIN618074412976 & UTR नं0 SBIN618074412431 दिनांक 15.03.2018 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।

3 शर्त सं0 3 के अनुपालन में वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

4– शर्त सं0 4 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य एवं सभी दूसरी निधियॉ RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर दी गयी है। बैंक से प्राप्त यू0टी0आर0 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

5– शर्त सं0 5 के अनुपालन में भू–वैज्ञानिक के सुझाव का सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

6– शर्त सं0 6 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रपत्र 30 से 30–3 दिनांक 04.09.2015 को हुई जिला स्तरीय बैठक के कार्यवाही जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र (कुल 5 नं0) पहले की प्रस्ताव में संलग्न किये गये है। जिनका कृपया अवलोकन करने का कष्ट करे।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर राज्य सरकार से विधिवत स्वीकृति जारी कराने की कृपा करे।

संलग्न–
(1) RTGS/NEFT फार्म की प्रति।
(2) दो प्रमाण पत्र।
(3) शासनादेश की प्रति संलग्न है।

27/3

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

1-(IV)

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन
Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा / Branch : Bageshwar

दिनांक/Date : 15-3-20

Received From Executive Engineer P.D.P.W. Bageshwar से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए
By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर / on : U.T.TARANCHAL CAMPA

बैंक / Bank : CORPORATION BANK

शाखा / Branch : BANGALORE

के पक्ष में / Favouring : U.T.TARANCHAL CAMPA

State Bank of India, Bageshwar

आईएफएससी कोड / IFSC Code : CORP0000633

खाता संख्या / Account No. : 150891131532720[illegible]

राशि (रुपये)/ Amount ₹ :	0	0	1	7	4	6	4	4	3
बैंक प्रभार/Bank's charges₹:						0	0	0	0
योग / Total ₹ :	0	0	1	7	4	6	4	4	3

राशि / Rupees (in words) : Seventeen Lac forty six thousand four hundred forty three only.

SBIN 61807441297[illegible]

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन
Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा / Branch : Bageshwar

दिनांक/Date : 15-3-2018

Received From Executive Engineer P.D.
P.W.D Bageshwar से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए
By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर / on : UTTARANCHAL CAMPA

बैंक / Bank : CORPORATION BANK

शाखा / Branch : BANGLORE

के पक्ष में / Favouring : UTTRANCHAL CAMPA

आईएफएससी कोड / IFSC Code : CORP000633

खाता संख्या / Account No. : 150991131532720135670

राशि (रुपये)/ Amount ₹ :	0	0	0	0	1	0	0	0	0
बैंक प्रभार/Bank's charges₹:									
योग / Total ₹ :	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0

राशि / Rupees (in words) :
SBIN 61807441243)

संलग्न-2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963-220249 फैक्स नं0 05963-220209

पत्रांक 4420 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 03/ 5 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.802 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत साराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	0.802 है0	5	0.3	1005210.00	8,06,178.00	05,26,914.00	2,79,264.00
	कुल योग					8,06,178.00	05,26,914.00	2,79,264.00

11.5.23

25 ... 1180 12-5-23

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

P.C Attested

for अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0

241

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।

उत्तराखण्ड शासन
फोन / फैक्स नं0–05963–220006

PWD Uttarakhand
E-mail id- pdpwdbgr@gmail.in

पत्रांक 3833/कैश

दिनांक 27/09/2023

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सन्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर में लमचूला गनिगॉव मोटर मार्ग का निर्माण (3 किमी0) हेतु अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैकर्स चैक सं0– 639458 दिनांक 18.09.2023 ₹ 279264.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0– 150896115327029 IFSC Code- UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :– बैकर्स चैक सं0–639458 दिनांक 18.09.2023 ₹ 279264.00 मात्र मूल में।

26/09/23

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

पत्रांक /कैश. तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेष्वर।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

Q-155
Q. Voucher (BGL)

UTR: SBIN423270686927

भारतीय स्टेट बैंक बागेश्वर शाखा-(01693)
PF ID. 1100 ... 82
27/9/2023
Posted By
Checked By
Name: MANISHA TIWARI
Signature

P.C. Agarwal
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

NEFT RTGS CHALLAN

F/o Lamchula to Gogigam M/R 2-(11)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115327029
MoEF/SG File No.	1(213)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	279264/-

Amount in Words :Two Lakh Seventy-Nine Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896115327029 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115327029
MoEF/SG File No.	1(213)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	279264/-

Amount in Words :Two Lakh Seventy-Nine Thousand Two Hundred and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896115327029 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference Id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank**

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

PC Attested

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 698 / 121-2 बागेश्वर दिनांक : 13 / 08 / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.802 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध मे।
(प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/15327/2015)

सन्दर्भ:– उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं0 770 / x-4-16/1(213)/2016 दिनांक 12.अगस्त.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.802 है0 वन भूमि** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0 3079 / 12–1–2 दिनांक 28.06.2018 द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी थी। **(छायाप्रति संलग्न)**–1

सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3 / 2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया ज़ाना है।

भारत सराकर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि UTR No.SBIN423270686927 Dtd 27.09.2023 से जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)–2

अतः प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचना चार प्रतियों में संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नः– चार प्रतियो।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक / दिनांकित ।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

आमा
07/8/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2127 / 25 व.प्र.

दिनांक 06 / 08 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगॉव मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.802 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 4428 / 12–1–2 बागेश्वर दिनांक 03.05.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र सं0 3079 / 12–1–2–बागे दिनांक 28.06.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु नोडल कार्यालय देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। पॉच वर्ष से अधिक समय से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि रू0 2,79,264.00 की मॉग की गई थी, जिसे (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No-SBIN423270686927 dtd 27.09.2023 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की देय धनराशि जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

आवक संख्या 632
दिनांक 07/8/2024
पत्रावली संख्या 12-1-2
आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्र0 प्रशा0 अधि0 प्र0 व0 अ0